विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग—1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
मंगलवार, 05 जुलाई, 2022 / आषाढ़ 14, 1944 (शक)

संख्या—26

11.04 बजे **श्रीमती राखी बिरला, माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुईं।**

1. 11.05 बजे श्री सौरभ भारद्वाज, माननीय सदस्य ने हिन्दी समाचार पत्र हिन्दुस्तान में *"'आप' के दो विधायक सीबीआई जांच के घेरे में'* शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार से संबंधित मामला उठाया, जिसमें यह बताया गया है कि माननीय सदस्य श्री संजीव झा और श्री मुकेश अहलावत से, ड्राईवरों तथा कंडक्टरों के स्थानांतरण करने के लिए उनके द्वारा दिल्ली नगर निगम को लिखे गये पत्रों के संबंध में सीबीआई द्वारा पूछताछ की जानी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई जानबूझकर विधायकों को बदनाम करने के लिए ऐसे समाचार गढ़ रही है। श्री संजीव झा ने भी इस मामले पर अपने विचार व्यक्त किये।

सत्ता पक्ष के सदस्य सदन के वैल में आ गये तथा सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के विरूद्ध नारेबाजी करने लगे और उक्त मामले पर तत्काल चर्चा करने की मांग करने लगे।

उपाध्यक्ष महोदया ने सदस्यों से आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। तथापि, शोर—शराबा और नारेबाजी जारी रही।

2. 11.12 बजे **उपाध्यक्ष महोदया ने सदन 10 मिनट के लिए स्थगित किया।**

3. 11.24 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**
उपाध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं।

4. 11.25 बजे सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए, उपाध्यक्ष महोदया ने श्री सौरभ भारद्वाज और श्री संजीव झा, माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मामले पर संज्ञान लिया और समाचार पर चर्चा की अनुमति दी।

विशेष उल्लेख (नियम—280) :

उपाध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिया कि निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम—280 के अंतर्गत उठाये जाने वाले विशेष उल्लेख के मामले पढ़े हुये माने जायें :—

1. श्री नरेश यादव
2. श्री ओम प्रकाश शर्मा
3. श्री जय भगवान
4. श्री अभय वर्मा
5. श्री जितेंद्र महाजन
6. श्रीमती बंदना कुमारी
7. श्री अब्दुल रहमान
8. श्री अजय महावर
9. श्री जरनैल सिंह
10. श्री रोहित कुमार

5. 11.37 बजे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने समाचार पर चर्चा की अनुमति देने के संबंध में यह कहते हुए आपत्ति प्रकट की कि ऐसा प्रक्रिया नियमों के विरूद्ध किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदया ने प्रतिपक्ष के सदस्यों का ध्यान नियम—293 की तरफ दिलाया और अनुरोध किया कि सदस्य और तर्क—वितर्क किये बिना अपना स्थान ग्रहण कर लें।

प्रतिपक्ष के सदस्यों ने उपाध्यक्ष महोदया के साथ तर्क—वितर्क करना जारी रखा।

उपाध्यक्ष महोदया ने प्रतिपक्ष के सदस्यों श्री अजय महावर, श्री अभय वर्मा, श्री अनिल कुमार बाजपेयी तथा श्री जितेंद्र महाजन को उनके अमर्यादित आचरण के कारण बैठक की शेष कार्यवाही से इंगित कर दिया तथा मार्शलों को उन्हें सदन से बाहर ले जाने का निर्देश दिया।

6. 11.37 बजे निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :–

1. श्री सौरभ भारद्वाज
2. श्री संजीव झा
3. श्री कुलदीप कुमार
4. श्री रितु राज गोविंद
5. श्री विशेष रवि
6. श्री मदन लाल
7. श्री मोहन सिंह बिष्ट

श्री सौरभ भारद्वाज, माननीय सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :

" दिल्ली के कुछ समाचार पत्रों में इस सदन के माननीय सदस्यों के विरूद्ध सीबीआई जांच के संबंध में प्रकाशित समाचारों का संज्ञान लेते हुए, जिन्होंने डीटीसी में ड्राइवरों और कंडक्टरों जैसे कर्मचारियों के स्थानांतरण को अग्रेषित या अनुशंसित किया है

यह सदन सीबीआई द्वारा माननीय सदस्यों को चुनिंदा रूप से लक्षित करने के प्रयास की कड़ी निदां करता है, जो अपने उन कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों से अपेक्षित हैं।"

श्री वीरेंद्र सिंह कादियान, माननीय सदस्य ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :

"यह सदन यह भी सिफारिश करता है कि कुछ समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों द्वारा इस तरह के तुच्छ विषयों के लिए सदन के माननीय सदस्यों के नाम प्रकाशित करने के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए।"

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

निम्नलिखित संकल्प (यथा संशोधित) को मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ :

" दिल्ली के कुछ समाचार पत्रों में इस सदन के माननीय सदस्यों के विरूद्ध सीबीआई जांच के संबंध में प्रकाशित समाचारों का संज्ञान लेते हुए, जिन्होंने डीटीसी में ड्राइवरों और कंडक्टरों जैसे कर्मचारियों के स्थानांतरण को अग्रेषित या अनुशंसित किया है

यह सदन सीबीआई द्वारा माननीय सदस्यों को चुनिंदा रूप से लक्षित करने के प्रयास की कड़ी निदां करता है, जो अपने उन कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों से अपेक्षित हैं, और

यह सदन यह भी सिफारिश करता है कि कुछ समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों द्वारा इस तरह के तुच्छ विषयों के लिए सदन के माननीय सदस्यों के नाम प्रकाशित करने के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए।"

7. 12.37 बजे प्रतिपक्ष के सदस्य श्री मोहन सिंह बिष्ट ने उपाध्यक्ष महोदया से प्रतिपक्ष के सदस्यों श्री अजय महावर, श्री अभय वर्मा, श्री अनिल कुमार बाजपेयी तथा श्री जितेंद्र महाजन को सदन में वापस बुलाने के लिए अनुरोध किया।

उपाध्यक्ष महोदया ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया तथा संबंधित सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण किया।

8. 12.39 बजे **श्री दिलीप पांडे, माननीय मुख्य सचेतक** ने उपाध्यक्ष महोदया की अनुमति से दिल्ली में 53 मंदिरों को ढहाने का आदेश जारी करने के लिए केंद्र सरकार की निंदा करने से संबंधित मामला उठाया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :

1. श्री वीरेंद्र सिंह कादियान
2. श्रीमती आतिशी
3. श्री अजय महावर
4. श्री विशेष रवि
5. श्री सौरभ भारद्वाज
6. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष

तुगलकाबाद क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संत रविदास मंदिर को ढहाने के मामले पर बहस शुरू हुई। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य जोरदार तर्क–वितर्क हुआ।

9. 01.36 बजे **उपाध्यक्ष महोदया ने सदन को भोजनावकाश के लिए स्थगित किया।**

10. 02.54 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**
उपाध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं।

11. 02.55 बजे **सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात :**
श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत कीं :–

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, 'सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों)' पर लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 01)
2. 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 'राज्य वित्त लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन' (वर्ष 2020 का लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 02)
3. वर्ष 2018–19 हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखे
4. वर्ष 2018–19 हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विनियोग लेखे
5. 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 'राजस्व, आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्रों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों' पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 01)
6. वर्ष 2019–20 हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखे
7. वर्ष 2019–20 हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विनियोग लेखे
8. 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 'राज्य वित्त लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन' (वर्ष 2021 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 02)
9. वर्ष 2020–21 हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखे
10. वर्ष 2020–21 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विनियोग लेखे

12. श्री अजय दत्त ने वर्ष 2019 में तुगलकाबाद में संत रविदास का मंदिर ढहाने के बारे में अपना रोष प्रकट करते हुए वक्तव्य दिया।

13. 02.56 बजे **अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) :**
उपाध्यक्ष महोदया ने कहा कि *"सेवा विभाग की असंवैधानिक कार्यप्रणाली से उत्पन्न स्थिति, जो विधानसभा तथा इसकी समितियों को उत्तर देने से भी मना कर देता है"* विषय से संबंधित चर्चा को समय के अभाव के कारण नहीं लिया जा रहा है।
उपाध्यक्ष महोदया ने इस विषय पर संक्षिप्त वक्तव्य दिया और "सेवा विभाग से उत्तर प्राप्त न होने के संबंध में सदन की समिति" गठित की और निम्नलिखित सदस्यों को 48 घंटे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ समिति में मनोनीत किया :

1. श्री राजेश गुप्ता–सभापति
2. श्रीमती आतिशी
3. श्री सोमनाथ भारती

14. **II. श्री सौरभ भारद्वाज** ने *"दिल्ली नगर निगम में बुरी तरह हारने के डर से, दिल्ली नगर निगम के चुनावों में असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक ढंग से देरी करने की साजिश"* के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :–

1. श्री दुर्गेश पाठक
2. श्री अजय महावर
3. श्री रोहित कुमार
4. श्री राजेश गुप्ता

श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।
(श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री के वक्तव्य के विरुद्ध बहिर्गमन किया।)

15. 04.25 बजे **प्रतिवेदन पर सहमति :**

श्री जरनैल सिंह ने प्रस्ताव किया कि: *"यह सदन दिनांक 04 जुलाई, 2022 को सदन में प्रस्तुत **कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन** से सहमत है।"*
प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।

16. 04.26 बजे उपाध्यक्ष महोदया ने सदन को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।
उपाध्यक्ष महोदया ने विधानसभा सचिवालय के स्टाफ, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा स्टाफ, सुरक्षा एजेंसियों और मीडिया का सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग देने के लिए भी आभार व्यक्त किया।

17. 04.27 बजे *राष्ट्र गान : जन–गण–मन*

सदन अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुआ।

दिल्ली
05 जुलाई, 2022

राज कुमार
सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
Bulletin Part-I
(Brief summary of proceedings)
Tuesday, 05 July 2022 / 14 Aashaadh 1944 (*Saka*)

No. 26
11.04 AM

Smt. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker in-Chair

1. 11.05 AM Shri Saurabh Bharadwaj, Hon'ble Member raised the issue of a news item published in Hindustan (Hindi) Newspaper titled as *"'आप ' के दो विधायक **CBI** जांच के घेरे में'* wherein it was stated that Shri Sanjeev Jha and Shri Mukesh Ahlawat, Hon'ble Members were to be examined by the CBI for letters they had written to DTC requesting for transfer of Drivers and Conductors. He alleged that the CBI was deliberately planting such stories to defame the legislators. Shri Sanjeev Jha also spoke on the issue.
The Members of Ruling Party came into the well of the House and raised slogans against CBI and BJP and demanded an immediate discussion on the said matter.
The Chair requested the Members to take their seats.
However, uproar and sloganeering continued.

2. 11.12 AM **The Chair adjourned the House for 10 Minutes.**

3. 11.24 AM **House reassembled.**
Hon'ble Deputy Speaker in-Chair.

4. 11.25 AM Taking sense of the House, the Chair took cognizance of the matter raised by Shri Saurabh Bharadwaj and Shri Sanjeev Jha, Hon'ble Members and allowed discussion on the news item.

Special Mention (Rule-280) :
The Chair directed that the matters raised by the following Members under Rule-280 be treated as read :

1. Shri Naresh Yadav
2. Shri Om Prakash Sharma
3. Shri Jai Bhagwan
4. Shri AbhayVerma
5. Shri Jitender Mahajan
6. Smt. Bandana Kumari
7. Shri Abdul Rehman
8. Shri Ajay Mahawar
9. Shri Jarnail Singh
10. Shri Rohit Kumar

5. 11.37 AM The Members of Opposition Party raised objection for allowing the discussion on the news items by stating that it was in violation of the Rules of Procedure.
The Chair drew attention of the Members of the Opposition to Rule-293 and requested the Members to take their seats without further arguments.
The Opposition Members continued to argue with the Chair.
The Chair named Shri Ajay Mahawar, Shri Abhay Verma, Shri Anil Kumar Bajpai and Shri Jitender Mahajan, Members of Opposition from the remaining part of the proceedings of the sitting due to their indecorous behaviour and directed the Marshalls to escort them out of the House.

6. 11.37 AM The following Members participated in the discussion :-
   1. Shri Saurabh Bharadwaj
   2. Shri Sanjeev Jha
   3. Shri Kuldeep Kumar

4. Shri Rituraj Govind
5. Shri Vishesh Ravi
6. Shri Madan Lal
7. Shri Mohan Singh Bisht

Shri Saurabh Bharadwaj, Hon'ble Member moved the following Resolution :
"Taking cognisance of the news reports published in few Newspapers in Delhi regarding the CBI enquiry against the Hon'ble Members of this House who have forwarded or recommended transfer of employees like drivers and conductors in DTC;
This House strongly condemns the CBI in its attempt to selectively target elected Hon'ble Members who were performing their duties that are expected from elected representatives"
Shri Virender Singh Kadian, Hon'ble Member moved the following amendment:
"This House also recommends that the matter of some newspapers and news agencies publishing the names of the Hon'ble Members of the House for frivolous matters like this to the Privileges Committee."

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister also expressed his views.

The following Resolution (as amended) was put to vote and adopted by voice vote:
"Taking cognisance of the news reports published in few Newspapers in Delhi regarding the CBI enquiry against the Hon'ble Members of this House who have forwarded or recommended transfer of employees like drivers and conductors in DTC;
This House strongly condemns the CBI in its attempt to selectively target elected Hon'ble Members who were performing their duties that are expected from elected representatives; and
This House also recommends that the matter of some newspapers and news agencies publishing the names of the Hon'ble Members of the House for frivolous matters like this be referred to the Privileges Committee."

7. 12.37 PM Shri Mohan Singh Bisht, Member of Opposition requested the Chair to allow Shri Ajay Mahawar, Shri Abhay Verma, Shri Anil Kumar Bajpai and Shri Jitender Mahajan, Members of Opposition to resume their seats in the House.
The Chair agreed to the request and the Members concerned took their seats in the House.

8. 12.39 PM **Shri Dilip Pandey, Hon'ble Chief Whip** raised an issue with the permission of the Chair for censuring the Central Government for issuing orders for demolition of 53 Temples in Delhi.
The following Members participated in the discussion :
1. Shri Virender Singh Kadian
2. Smt. Atishi
3. Shri Ajay Mahawar
4. Shri Vishesh Ravi
5. Shri Saurabh Bharadwaj
6. Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition

Arguments ensued over the issue of demolition of Sant Ravidas Temple in Tughlakabad area by DDA. Heated exchange of words between Ruling and Opposition Members continued.

9. 01.36 PM **The Chair adjourned the House for *Lunch-Break*.**

10. 02.54 PM **House reassembled.**
Hon'ble Deputy Speaker in-Chair.

11. 02.55 PM **Papers laid on the Table:**
Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister laid copies of the following on the Table of the House:
1. Audit Report on 'Social, General and Economic Sectors(Non-PSUs)' of the Comptroller and Accountant General of India for the year ended 31 March 2018 (Report No 1 of 2020).
2. "State Finances Audit Report" of the Comptroller and Accountant General of India for the year ended 31 March 2019 (Audit Report No.2 of 2020).
3. Finance Accounts of the Government of NCT of Delhi for 2018-2019.
4. Appropriation Accounts of the Government of NCT of Delhi for 2018- 2019.
5. Audit Report on 'Revenue, Economic, Social and General Sectors and PSUs for the year ended 31 March 2019 (Report No.1 of 2021).
6. Finance Accounts of the Government of NCT of Delhi for 2019- 2020.
7. Appropriation Accounts of the Government of NCT of Delhi for the year ended 2019-2020.
8. "State Finances Audit Report" of the Comptroller and Accountant General of India for the year ended 31 March 2020 (Audit Report No.2 of 2021).
9. Finance Accounts of the Government of NCT of Delhi for 2020- 2021.
10. Appropriation Accounts of the Government of NCT of Delhi for the year ended 2020-2021.

12. Shri Ajay Dutt made a statement expressing his anguish over demolition of Sant Ravidas Temple in Tughlakabad in the year 2019.

13. 02.56 PM **Short Duration Discussions (Rule-55) :**
The Chair stated that the discussion on *'The situation arising out of the unconstitutional working of the Services Department which is refusing to even reply to the Assembly and its Committees'* was not being taken up due to paucity of time.
The Chair made a brief statement on the issue and constituted a "House Committee on the *non-receipt of replies from Services Department*" and nominated the following Members to the Committee with the directions to submit a report within 48 hours :
1. Shri Rajesh Gupta - Chairperson
2. Smt. Atishi
3. Shri Somnath Bharti

14. I. **Shri Saurabh Bharadwaj, Hon'ble Member** initiated discussion on *'Conspiracy to delay MCD elections in an unconstitutional and undemocratic manner for the fear of losing MCD'*.
The following Members participated in the discussion :
1. Shri Durgesh Pathak
2. Shri Ajay Mahawar
3. Shri Rohit Kumar
4. Shri Rajesh Gupta

Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister replied to the discussion.
(Shri Rambir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition and other members of BJP walked out in protest against the statement of the Chief Minister)

15. 04.25 PM **Adoption of Report :**
Shri Jarnail Singh moved that *"This House agrees with the **Fourth Report of Business Advisory Committee** presented in the House on 04 July 2022"*.
The motion was put to vote and adopted by voice vote.

16. 04.26 PM The Chair expressed gratitude to the Hon'ble Chief Minister, Hon'ble Deputy Chief Minister, Hon'ble Ministers, Hon'ble Leader of Opposition and Hon'ble Members before adjourning the House sine-die. The Chair also expressed thanks to the staff of Assembly Secretariat, Officers and staff of various Departments of Delhi Government, Security Agencies and Media for their cooperation in the smooth conduct of the proceedings of the House.

17. 04:27 PM **National Anthem – Jan-Gan-Man**
The Chair adjourned the House sine-die.

Delhi **Raj Kumar**
05 July, 2022 **Secretary**